राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ–5/ अभि/ सीटीएडी/सीएसएस/क्षमता वृद्वि/2016–17/ 37839 दिनांक 26/10/18

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ।

विषय– केन्द्र प्रवृर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत छात्रावास क्षमता वृद्वि के कार्यो हेतु राशि के हस्तातंरण के संबंध में।

प्रसंग– अधिशाषी अभियंता,राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड भीलवाडा का पत्रांक 1398–99 दिनांक 22.10.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रतापगढ जिले में 6 आश्रम छात्रावासों की क्षमता वृद्वि के लिए अतिरिक्त डोरमेट्री निर्माण कार्यो की कुल स्वीकृति राशि 464.55 लाख की जारी की गई थी। उक्त निर्माण कार्यो हेतु आपको अब तक कुल प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि क्रमश 200.00 एवं 122.00 लाख कुल राशि रू. 322.00 लाख की राशि हस्तांतरित की गई ।

कार्य.एजेन्सी राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे 299.32 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है एवं अब तक 298.10 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपको प्रेषित किया जा चुका है एवं शेष राशि की मांग की गयी है।

इस पत्र के माध्यम से जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्य 69/2017–18 दिनांक 28.02.2018 द्वारा आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. में से उपलब्ध राशि 94.72 लाख रू. आपको हस्तांतरित की जा रही है।

लेख है कि कार्यो के कार्यादेश, **कन्टीजेन्सी + प्रोरेटा चार्जेज अनुसार इन 6 कार्यो हेतु अधिकतम राशि लगभग 423.00 लाख रू. होती है।** कार्यकारी एजेन्सी से नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर 90 प्रतिशत तक राशि (लगभग 380.00 लाख) कार्यो की प्रगति के दौरान हस्तांतरित की जा सकती है । चूंकि आपके द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को पूर्व में 299.32 लाख हस्तांतरित की जा चुकी है अतः 90 प्रतिशत तक की शेष राशि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी को हस्तांतरित करें।

कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर शेष आवश्यक राशि की कार्यादेश अनुसार गणना कर **(कार्यादेश राशि +कन्टीजेन्सी +प्रोरेटा चार्जेज) एवं वास्तविक व्यय** आधार पर सूचित करे ताकि आवश्यक होने पर अंतिम शेष राशि की व्यवस्था की जा सके। यदि उपरोक्त गणना अनुसार राशि से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो कृपया कार्यकारी एजेन्सी से **Justifcation** भी प्राप्त कर प्रेषित करावें

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्रमांक एफ–5/ अभि/ सीटीएडी/275(1)6 होस्टल/ 2015–16/ 37839–48 दि. 26/10/18

प्रतिलिपि–1.प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।

2.जिला कलक्टर, प्रतापगढ।

3.अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, ~~जयपुर~~ उदयपुर

4.अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,फल सब्जी मंडी, अजमेर।

5. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर/ किसान भवन, खण्ड भीलवाडा ।

6..वित्तीय सलाहकार,कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या 9/2017–18 दिनांक 28.02.2018 अनुसार आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 266.25 लाख में से उपलब्ध राशि 94.72 लाख रू. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ को हस्तांतरित करें।

7. प्रभारी अधिकारी, मॉनिटरिंग/कम्प्यूटरकार्यालय हाजा। 8. गार्ड पत्रावली।

आयुक्त